

The Jharkhand Bovine Animal Prohibition of Slaughter Act, 2005 Act 12 of 2005

Keyword(s):

Text of Act is in Hindi, Beef, Uneconomic Cow, Ox, Cow, Slaughter, Sales

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.





झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 664

16 अग्रहायण, 1927 शकाब्द राँची, बुधवार 7 दिसम्बर, 2005

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

24 अक्टूबर, 2005

संख्या-एल॰जी॰-11/2005-76/लेज॰--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 22 नवम्बर, 2005 को अनुमित दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम, 2005 [झारखण्ड अधिनियम 11, 2005]

झारखण्ड राज्य में गाय एवं उसकी नस्ल के हत्या के प्रतिषेध हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

धारा-1: संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

- (क) इस अधिनियम का नाम झारखण्ड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम, 2005 होगा ।
- (ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा ।
- (ग) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अधिसूचित करें।

धारा-2: परिभाषाएँ :

इस अधिनिमय में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) 'गो-मांस' से गोवंशीय पशु का मांस अभिप्रेत है ;
- (ख) 'गोवंशीय पशु' से अभिप्रेत है गाय, बछड़ा, बछिया, सांढ़ या बैल;
- (ग) 'म्रांड़' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष की आयु से ऊपर का कोई अवन्ध्यकृत नर अधिप्रेत हैं ;

- (घ) 'बैल' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष की आयु से ऊपर का कोई वन्ध्यकृत नर अभिप्रेत हैं :
- (ड.) 'बछड़ा' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष और उससे कम की आयु का कोई वन्ध्यकृत/अवन्ध्यकृत नर अभिप्रेत हैं ;
- (च) 'गाय' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष की आयु से ऊपर की कोई मादा अभिप्रेत है :
- (छ) 'बछिया' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष और उससे कम की आयु का कोई मादा अभिप्रेत है ;
- (ज) 'हत्या' से अभिप्रेत हैं किसी ढंग से और किसी भी प्रयोजन के लिए साशय मारना और इसकें अन्तर्गत इस प्रकार विकलांग करना या ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाना जिससे कि मानूली अनुक्रमण में मृत्यु हो जाय । दुर्घटनावश या आत्मरक्षा में की गई हत्या को इस अधिनियम में हत्या नहीं माना जाएगा;
- (झ) 'नियति' से झारखण्ड राज्य से झारखण्ड राज्य के बाहर किसी भी अन्य स्थान को ले जाया जाना अभिप्रेत है:
- (अ) 'सक्षम अधिकारी' से अधिप्रेत है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अनुमण्डल दंडाधिकारी के पद से न्यून न हो तथा जिसे राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा इस हेतु नियुक्ति किया हो:
- (ट) 'संहिता' से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत हैं;
- (ठ) 'पशु चिकित्सा पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है झारखण्ड पशुपालन सेवा के वैसे पशु चिकित्स पदाधिकारी जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अपनी समस्त शक्तियाँ या उनमें से कोई शक्ति प्रत्यायोजित किया गया हो :
- (ङ) "अपीलीय अधिकारी" से अधिप्रेत है कि कोई ऐसा पदाधिकारी जो उपायुक्त से न्यून न हो तथा जिसे राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा इस हेतु नियुक्त किया हो;

धारा-3: गोपशुओं की हत्या का प्रतिषेध :

- (क) कोई भी व्यक्ति 'तत्समय प्रवृत' किसी विधि में या किसी प्रथा या रुढ़ि में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी गोवंशीय पशुओं का हत्या नहीं करेगा या बध नहीं करवाएगा या हत्या किये जाने के लिए इसे प्रस्थापित नहीं करवाएगा ।
- (ख) राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित, करना वह ठीक समझें, किन्हीं भी व्यक्ति या संस्था को चिकित्सकीय या अन्वेषण संबंधी प्रयोजनों के लिए गोवंशीय पशुओं की हत्या को या उसके मांस के कब्जे में रखे जाने को इस अधिनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

धारा-4: हत्या के लिए गो-पशुओं के परिवहन का प्रतिषेध ।-

कोई भी व्यक्ति गो पशुओं का, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उसकी हत्या के प्रयोजन के लिए, या यह जानकारी रखते हुए कि उसकी इस प्रकार हत्या की जाएगी या उसकी इन प्रकार हत्या किये जाने की संभावना है, राज्य के भीतर के किसी स्थान से राज्य के बाहर के किसी स्थान को परिवहन नहीं करेगा या उसके परिवहन के लिए प्रस्थापना नहीं करेगा या प्रस्थापना नहीं करवाएगा।

- ्रारा-4(क) निर्यात का प्रतिबंध (1) कोई भी व्यक्ति गो-पशुओं का इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में या जानकारी रखते हुए कि उसकी हत्या की जाएगी या यह कि उसकी हत्या किये जाने की संभावना है, हत्या के प्रयोजन के लिए निर्यात न तो स्वयं करेगा और न ही अपने अभिकर्त्ता या नौकर के मार्फत अथवा अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के मार्फत करवाएगा ।
- अराग-4(ख) निर्यात हेतु अनुज्ञापन (1) कोई भी व्यक्ति जो गो-पशुओं का निर्यात करना चाहता है, अनुज्ञापत्र के लिए ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त, नियुक्त करे, आवेदन करेगा जिसमें वे कारण कथित किये जायेंगे, जिनकी वजह से उसका निर्यात किया जाना है तथा साथ ही उन गायों तथा बछड़े-बाछियों की संख्या जिनका, तथा उस राज्य का नाम, जिसको निर्यात किया जाना प्रस्तावित है, कथित किया जायेगा, और वह इस आशय की घोषणा भी करेगा कि उन गायों या बछड़े-बाछियों/सांढ़-बैल की , जिनके निर्यात के लिये अनुज्ञापत्र अपेक्षित है, हत्या नहीं की जाएगी ।
 - (2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया अधिकारी, आवेदक की प्रार्थना की वास्तविकता या अवास्तविकता के बारे में अपना समाधान कर लेने के पश्चात्, आवेदन में विनिर्दिष्ट गाय, बछड़ा-बछड़ी, बैल और सांढ़ के निर्यात के लिये या तो उसे अनुज्ञापत्र दे सकेगा या अनुज्ञापत्र देने से इंकार कर सकेगा:

परंतु अनुज्ञापत्र दिये जाने के लिये किया गया कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो और नामंजूरी के लिए कारण अभिलिखित न किया गया हो ;

परंतु यह और भी कि गाय, बछड़ा-बछड़ी, बैल और सांढ़ ऐसे राज्य को निर्यात किये जाने के लिये अनुज्ञापत्र नहीं दिया जाएगा जहाँ गौ हत्या पर विधि द्वारा पाबंदी न लगाई गई हो ।

- धारा-4(ग) विशेष अनुज्ञापत्र-राज्य सरकार गोवंशीय पशुओं के परिवहन या निर्यात के लिये विशेष अनुज्ञापत्र दे सकेगी यदि उसकी यह राय हो कि वैसा करना लोकहित में होगा ।
- धारा-4(घ) कोई भी व्यक्ति या संस्थान / गोपशुओं का परिवहन एक राज्य से दूसरे राज्य में झारखण्ड राज्य के माध्यम से करना चाहे तो उन्हें झारखण्ड राज्य में प्रवेश के पूर्व इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट सक्षम अधिकारी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायेंगे, से अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा ।
- धारा-5: गोवंशीय पशुओं के विक्रय, क्रय या व्ययन का प्रतिषेध :

कोई भी व्यक्ति गोवंशीय पशुओं की हत्या के लिये या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे पशुओं की हत्या की जायेगी, न तो क्रय करेगा न विक्रय करेगा और न अन्यथा व्ययन करेगा और न उनको क्रय करने, विक्रय करने या अन्यथा व्ययन करने की प्रस्थापना करेगा और न उनका क्रय, विक्रय या अन्यथा व्ययन करवायेगा ।

धारा-6: गोवंशीय पशुओं का मांस कब्जे में रखने का प्रतिबंध :

तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे गोवंशीय पशु का मांस अपने कब्जे में नहीं रखेगा जिसकी हत्या-इस अधिनियम के उपबंध के उल्लंघन में किया गया है।

धारा-7: गोमांस विक्रय निषिद्ध :

तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति गामांस या किसी रूप में गोमांस-उत्पाद विक्रय नहीं करेगा या विक्रय नहीं करवाएगा या विक्रय हेतु प्रस्थापना नहीं करेगा, जिसकी हत्या इस अधिनियम के उपबंध के उल्लंघन में किया गया हो ।

धारा-8: संस्थाओं की स्थापना :

सरकार द्वारा या सरकार द्वारा जब वैसा निर्देश दिया जाय तो स्थानीय निकाय / प्राधिकृत द्वारा अनार्थिक गायों की भाव भिक्त, भरण-पोषण और सार-सम्भार हेतु संस्थानों की स्थापना की जाएगी: वशर्ते की सरकार द्वारा पूर्व से प्रतिष्ठित किसी संस्था को इस अधिनियम के अधीन प्रतिष्ठित संस्था के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।

धारा-9: प्रभार और शुल्क आरोपण :

सरकार और स्थानीय निकाय, यदि अधिकृत हों तो, संस्थानों में अनार्थिक गायों के भरण-पोषण और सार-सम्भार हेतु यथा निर्धारित रीति से वैसे शुल्क आरोपित कर सकेगी।

धारा-10: प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण शक्ति :

- (1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिये, सक्षम प्राधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो सक्षम प्राधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किया गया हो, यह शक्तित होगी कि वह अपने अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के किसी परिसर में, जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है. किया जा रहा है या किये जाने की सम्भावना है, प्रवेश करे तथा उनका निरीक्षण करे।
- (2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किये गये किसी परिसर पर अधिभोग रखना हो, यथास्थिति लिये अनुज्ञात करेगा जैसा कि वह (पूर्ववत) प्रयोजन के लिये अपेक्षित करे. और यथास्थिति सक्षम प्राधिकारी, पशुचिकित्सा अधिकारी या प्राधिकृत किये गये व्यक्ति द्वारा उससे पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने सर्वोत्तम ज्ञान अथवा विश्वास के अनुसार देगा ।
- (3) सब इन्सपेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, धारा 4(क) तथा धारा 4(ख) के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से या स्वयं का यह समाधान करने के लिये कि उक्त धाराओं के उपबंधों का अनुपालन किया गया है -
 - (क) गोवंशीय पशुओं के निर्यात के लिये उपयोग में लाए गए या उपयोग में लाए जाने के लिए आशियित किसी यान में प्रवेश कर सकेगा, उसे रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा, या उसमें प्रवेश करने उसे रोकने और तलाशी लेने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा ।

- (ख) गोवंशीय पशुओं का, जिनके बारे में उसे यह संदेह हो कि धारा 4 (क) और 4 (ख) के किसी उपवंध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, उन यानों सिहत, जिसमें गोवंशीय पशु पाई जायें, अभिग्रहण कर सकेगा या उनका अभिग्रहण किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा, या उनका अभिग्रहण किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा और तत्पश्चात् वे समस्त उपाय कर सकेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस प्रकार अभिगृहीत की गई पशुओं तथा यानों का न्यायालय में पेश किया गया जाना है तथा इस प्रायोजन के लिये कि पेश किये जाने तक उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाता है, आवश्यक है।
- (ग) तलाशी तथा अभिग्रहण के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंध, जहाँ तक हो सके इस धारा के अधीन की तलाशियों तथा अभिग्रहण लागू होंगे ।

परन्तु राज्य सरकार किसी वैसे व्यक्ति या व्यक्ति जो जनहित में कार्यरत हो के समूह को राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित कर इस अधिनियम के अधीन शक्ति प्रदान कर सकेंगी।

धारा-11. अभिगृहित गोवंशी पशु की अभिरक्षा और निपटारा :

(1) जब कभी तलाशी या अभिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा गोवंशीय पशु अभिगृहित किये जायें तो अभिगृहित किए गए गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा, मामले का अंतिम निपटारा होने तक, सक्षम अधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी भी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक एजेन्सी या धारा-8 के अन्तर्गत स्थानीय निकाय को सौपी जा सकेगी ।

परन्तु जहाँ किसी भी स्थानीय क्षेत्र में कोई भी ऐसी स्वैच्छिक एजेन्सी या स्थानीय निकाय नहीं हो वहाँ सक्षम अधिकारी गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा क्षेत्र के बाहर की किसी भी ऐसी एजेन्सी या निकाय या ऐसे अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौप सकेगा जो ऐसी पशुओं को स्वेच्छा से रखना चाहे । लेकिन किसी भी परिस्थित में उस व्यक्ति या उनसे संबंध व्यक्ति को अभिगृहित पशुओं की अभिरक्षा हेतु समर्पित नहीं की जा सकेगी जिनके द्वारा इस अधिनियम के उपबंधित नियमों के उल्लंघन में कार्य किये गये हों ।

अभिगृहित काल में रखे गए गो पशुओं के खर्च का वहन सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्धारित दर पर पशु मालिकों से की जाएगी।

- (2) जब कभी कोई मामला अंतिम रूप से निपटा दिया जाये तो गोवंशीय पशुओं की अधिरक्षा या स्थायी रूप से सौंप जाने के बारे में आगे के आदेश सक्षम आधिकारी के द्वारा ऐसे निबंधक और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जारी किये जायेंगे जो उचित समझी जाय ।
- (3) उपधारा (1) या (2) के अधीन किये गए किसी आदेश से कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख़ से तीस दिन के भीतर उसके विरुद्ध अपीलीय पदाधिकारी को अपील कर सकेगी ।
- (4) ऐसी अपील पर अपीलीय पदाधिकारी अपीलार्थी और उत्तरवादी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का निपटारा होने तक रोक के आदेश दिये जाने का निर्देश दे सकेगा या आदेश को उपान्तरित, परिवर्तित या वातिला कर सकेगा और ऐसे कोई भी आदेश कर सकेगा जो न्यायसंगत हो ।
- (5) जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई भी गोवंशीय पशु अभिगृहित किया जाय तो सक्षम अधिकारी को, ऐसे पशु के कब्जे, परिदान, निपटारे या छोड़े जाने के संबंध में आदेश करने की अधिकारिता होगी और तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, किसी भी अन्य न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण को नहीं होगी।

धारा-12: दण्ड :

- (1) जो कोई धारा-3 या धारा-5 या धारा-6 या धारा-7 के उपबंधों का उल्लंधन करता है या उल्लंधन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंधन का दुष्प्रेरण करता है वह, दोषिसिद्धि पर ऐसी अविध के कठोर कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु दस वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुमार्ने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा ।
- (2) जो कोई धारा 4-(क) या धारा 4-(ख) के उपबंधों का उल्लंधन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अविध तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुमिन से जो पाँच हजार रुपये तक हो सकेगा, दिंडण्त किया जाएगा ।

परन्तु न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित किये जाने वाले विशेष तथा पर्याप्त कारणों के सिवाय, ऐसा कारावास छ: मास से कम का नहीं होगा और ऐसा जुर्माना एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा ।

(3) जब कभी किसी वाहन के द्वारा इस अधिनियम में उपबंधित नियमों के विरुद्ध गो पशुओं या उनके मांस का वहन किया जायेगा तो ऐसे वाहनों को सरकार जब्त करेंगी।

धारा-13: किसी भी गोवंशीय पशु को साशय क्षति पहुँचाने के लिए दण्ड :

(1) जो कोई गोवंशीय पशु को साशय गंभीर क्षतियाँ कारित करता है वह, दोषसिद्धि पर. ऐसे अविध के कठोर कारावास से जो एक वर्ष से तीन वर्ष तक की होगी। और ऐसे जूर्मीन से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, दिण्डत किया जायेगा।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजन के लिए गंभीर क्षति के अन्तर्गत है;

- (क) पुंस्त्वहरण; सांड़ के मामले में,
- (ख) किसी भी आँख को स्थायी रूप से दृष्टि शक्तिहीन करना,
- (ग) किसी भी कान को स्थायी रूप से श्रवण शक्तिहीन करना,
- (घ) किसी भी अंग या जोड़ को अलग करना,
- (ड़) किसी हड्डी या दाँत का भंग या विस्थापन,
- (च) कोई भी उपहानि, जो जीवन को खतरे में डाले या जो उपहत को घोर शारीरिक कष्ट-कारित करे और अन्तत: अनुपयुक्त या अनुपयोगी बना दें।
- (2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन के किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध के लिए उपबंधित है ।

धारा−14: साबूत का भार :

जहाँ किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रथम द्रष्टव्य आरोप साबित होने के पश्चात् किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाए वहाँ यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराध नहीं किया था ।

धारा-15: दुष्प्रेरण या प्रयत्न :

जो कोई इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा या कोई ऐसा अपराध करने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दण्ड से, दण्डित किया जायेगा जो कि ऐसे अपराध के लिए इस अधिनियम में उपबंधित किया गया है ।

धारा-16: अपराधों का संज्ञेय तथा गैर-जमानती होना :

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय होगा जो गैर जमानतीय होगा ।

धारा-17: इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी लोक सेवक समझे जाएँगे :

समस्त सक्षम अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन शक्तितयों का प्रयोग करते हों, भारतीय दण्ड संहिता 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझें जायेंगे ।

भारा-18: सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों को परित्राण :

किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी वात दे संबंध में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका उस तरह सद्भावपूर्वक किया जाना आशाचित रहा हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

धारा-19. अपवाद :

- (1) धारा 3 का कुछ भी गो हत्या पर लागू नहीं होगा, यदि
 - (क) उस क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी या यथा प्राविधित पशु चिकित्सा विभाग का कोई अन्य पदाधिकारी यह प्रमाणित कर दे कि उसकी पीड़ा ऐसी है कि उसका नष्ट किया जाना वांछनीय है; या
 - (ख) जो शासन द्वारा इस रूप में सांसर्गिक या छूत जन्य रोग से पीड़ित है; (2) उपधारा (1) के वाक्य (क) या (ख) में किसी गाय की हत्या आशचित होने पर, ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक होगा कि वह उस क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी या यथा निर्धारित पशु चिकित्सा विभाग के किसी अन्य अधिकारी के द्वारा जारी लिखित अनुमित ले लें ।

धारा-20: नियम बनाने की शक्ति :

राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

> झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, राम बिलाश गुप्ता, सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।